



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 09 नवम्बर, 2020 / 18 कार्तिक, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 नवम्बर, 2020

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2020-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26-10-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2020 के अधिनियम

संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

2020 का अधिनियम संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
2. धारा 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 में, "पांच" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 10 of 2020

**THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT)
ACT, 2020**

(As Assented to by the Governor on 26TH OCTOBER, 2020)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No. 9 of 1972).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Act, 2020.

2. **Amendment of section 3.**—In section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 for the word “five”, the word “seven” shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 नवम्बर, 2020

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-18/2020-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-10-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

2020 का अधिनियम संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (1) और (1अ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) “लेखा परीक्षक” से, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों या लेखा परीक्षा फर्म या धारा 61 के अधीन गठित पैनल में यथा सम्मिलित सरकार का कोई अधिकारी/पदधारी अभिप्रेत है;

(1अ) “उप-विधि” से, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई उप-विधि अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उप-विधि का रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी है;

(1आ) "कलक्टर" से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जिलाधीश तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है।"

3. धारा 6 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) "दस हजार" शब्द जहां—जहां आते हैं के स्थान पर "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परन्तुक के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "।" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि किसी प्राइमरी सहकारी बैंक का कोई वैयक्तिक सदस्य ऐसे बैंक की कुल संदत्त शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक शेयर धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए "प्राइमरी सहकारी बैंक" से, ऐसा बैंक अभिप्रेत है जैसा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में परिभाषित किया गया है।"

4. धारा 8 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, आवेदनों की विशिष्टियों को या तो मैनुली या इलेक्ट्रानिकली तैयार किए गए आवेदन के रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और आवेदन को क्रमांकित करेगा और तत्पश्चात् सोसाइटी तथा इसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करेगा यदि—

(क) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध न हों;

(ख) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, जैसे विहित किए जाएं, से असंगत न हों।

5. धारा 11 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) किसी सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों के संशोधन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, आवेदन की विशिष्टियों को या तो मैनुली या इलेक्ट्रानिकली तैयार किए गए आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और आवेदन को क्रमांकित करेगा तथा तत्पश्चात् उप-विधियों में संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा, यदि—

(क) प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध न हों; और

(ख) प्रस्तावित संशोधन सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, जैसे विहित किए जाएं, से असंगत न हों।

6. धारा 11—अ का लोप.—मूल अधिनियम की धारा 11—अ का लोप किया जाएगा।

7. धारा 14—अ का लोप.—मूल अधिनियम की धारा 14—अ का लोप किया जाएगा।

8. धारा 59 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 59 में "विनिर्दिष्ट की जाए," शब्दों और चिन्ह के पश्चात् किन्तु "निकषेप और उधार प्राप्त करेगी" शब्दों से पूर्व इसके सदस्यों से" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 59 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"61. लेखा परीक्षा.—(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी संपरीक्षक द्वारा अपने लेखों की संपरीक्षा सहकारी वर्ष, जिससे लेखे सम्बन्धित हैं, की समाप्ति से छह मास के भीतर संपरीक्षित करवाएगी।

(2) सहकारी सोसाइटी के लेखे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित संपरीक्षकों के पैनल से सोसाइटी की साधारण बैठक में अनुमोदित संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे। इसके प्राधिकृत संपरीक्षकों के पैनल की अर्हता, अनुभव, तैयार करने की रीति और सोसाइटी द्वारा संदत्त की जाने वाली संपरीक्षा फीस या पारिश्रमिक सहित संदाय करने की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

(3) यदि लेखा परीक्षा के समय सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं तो उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत संपरीक्षक लेखे को सोसाइटी के व्यय पर लिखवा सकेगा।

(4) किसी सोसाइटी से संदेय संपरीक्षा फीस या पारिश्रमिक, यदि कोई है या सोसाइटी के लेखे लिखवाने के लिए उपगत व्यय धारा 90 में यथा उपबंधित रीति में वसूलीय होगा।

(5) जहां सहकारी सोसाइटी उपधारा (1) के अनुसार अपने वार्षिक लेखों की संपरीक्षा करवाने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के लेखों को सोसाइटी के व्ययों पर संपरीक्षित करवाएगा।

(6) जहां रजिस्ट्रार की राय है कि किसी सहायता प्राप्त सोसाइटी के कार्यकलाप धारा 48 के उपबन्धों के अनुसार सहकारी सिद्धान्तों या प्रज्ञापूर्ण वाणिज्यिक परिपाटी या इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धित नहीं किए जा रहे हैं, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध और संपरीक्षा को लागू नियम ऐसी विशेष संपरीक्षा के लिए भी लागू होंगे:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है तो वह धारा 48 के उपबन्धों के अनुसार असहायता प्राप्त सोसाइटी की विशेष संपरीक्षा का आदेश दे सकेगा यदि सोसाइटी के कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा इस प्रभाव का अनुरोध किया गया है।"

10. धारा 62 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में "रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "संपरीक्षक" शब्द रखा जाएगा।

11. धारा 93 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (1) में खण्ड (ठ) और (ड) का लोप किया जाएगा।

12. धारा 97-क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 97(क) के खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv-क) ऐसे बैंक की समिति के अधिक्रमण के लिए यदि किसी आदेश को भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता के अनुसार इस धारा के अधीन किया है या किया गया है तो ऐसी समिति का कोई सदस्य ऐसे बैंक की समिति या किसी अन्य बैंक के लिए समिति के अधिक्रमण के आदेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित, पुनर्नियुक्त या पुनर्नामनिर्दिष्ट या पुनर्सहयोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv-ख) कोई व्यक्ति, जो सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि,—

- (क) वह सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति, जो इस अधिनियम के अधीन अधिक्रमित की गई है, का कभी सदस्य नहीं रहा है; या
- (ख) वह सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति, जो इस अधिनियम के अधीन पूर्वतर अधिक्रमित थी और ऐसे अधिक्रमण के आदेश की तारीख से समिति के दो कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई थी, का सदस्य रहा है।”।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 9 of 2020

**THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) ACT, 2020**

(As Assented to by the Governor on 27th October, 2020)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (3 of 1969) (hereinafter referred to as the “principal Act”), for clauses (1) and (1-a), the following shall be substituted, namely:—

- (1) “Auditor” means an auditor or auditors or auditing firm or an officer or official of the Government as included in the panel constituted under section 61.
- (1A) “Bye-law” means a bye-law registered or deemed to have been registered under this Act; and includes a registered amendment of the bye-law;
- (1B) “Collector” means the Collector of a district and includes a Deputy Commissioner and any other officer specially appointed by the State Government to perform the functions of the Collector under this Act.

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

- (a) for the words “ten thousand” wherever occur, the words “one lakh” shall be substituted; and

(b) in the end of the proviso, for the sign “.”, the sign “;” shall be substituted and thereafter following shall be inserted, namely:—

“Provided further that no individual member of a primary co-operative bank shall hold more than five percent of the total paid up share capital of such bank.

Explanation.—For the purpose of this section “primary co-operative bank” means a bank as has been defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).”

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) On receipt of an application for registration of a co-operative society, the Registrar shall enter the particulars of the application in the Register of the applications to be maintained either manually or electronically, and give a serial number to the application and thereafter shall register the society and its bye-laws if—

- (a) the aims of the proposed society are not contrary to the provisions of this Act and the rules made thereunder; and
- (b) the aims of the proposed society are not inconsistent with the principles of the social justice, as may be prescribed.”

5. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) On receipt of an application for amendment of bye-laws of a co-operative society, the Registrar shall enter the particulars of the application in the Register of applications to be maintained either manually or electronically; and give a serial number to the application and thereafter may register the amendment in the bye-laws if—

- (a) the proposed amendments are not contrary to the provisions of this Act and the rules made there under; and
- (b) the proposed amendments are not inconsistent with the principles of the social justice, as may be prescribed.”

6. Omission of section 11-A.—The section 11-A of the principal Act shall be omitted.

7. Omission of section 14-A.—The section 14-A of the principal Act shall be omitted.

8. Amendment of section 59.—In section 59 of the principle Act, after the words “receive deposits”, the words “from its members” shall be inserted.

9. Substitution of section 61.—For section 61 of the principle Act, the following shall be substituted, namely:—

“**61. Audit.** — (1) Every co-operative society shall cause to be audited its accounts by an auditor, within six months from the close of a co-operative year to which the accounts relate.

(2) The accounts of a co-operative society shall be audited by an auditor approved in the general meeting of the society from the panel of auditors notified by the Government in this behalf. The qualifications, experience, manner of preparation

of the panel of auditors and authorization thereof; and audit fee or remuneration to be paid by the society alongwith the manner of making payment shall be such, as may be prescribed.

- (3) If at the time of audit, the accounts of a society are not complete, the auditor authorized under sub-section (2) may cause the accounts to be written up at the expense of the society.
- (4) The audit fee or the remuneration, if any, due from any society or the expenses incurred in writing up the accounts of a society shall be recoverable in the manner as provided in section 90.
- (5) Where a co-operative society fails to get its annual accounts audited as per sub-section (1), the Registrar shall get the accounts of the society audited at the expense of the society.
- (6) Where the Registrar is of the opinion that the affairs of any society aided as per the provisions of section 48, are not being managed in accordance with the co-operative principles or prudent commercial practices or the provisions of this Act, the rules or the bye-laws, he may by an order, provide for such special audit and the provisions of this Act, and the rules applicable to the audit shall also apply to such special audit:

Provided that the Registrar, if satisfied, may order special audit of a society not being aided as per the provisions of section 48, if a request to this effect is made by atleast one-fourth members of the society.

10. Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (2), for the words “Registrar or any person authorised by him”, the word “auditor” shall be substituted.

11. Amendment of section 93.—In section 93 of the principal Act, in sub-section (1), the clauses (l) and (m) shall be deleted.

12. Amendment of section 97-A.—In section 97-A of the principle Act, after clause (iv), the following shall be inserted, namely:—

“(iv-a) If an order for supersession of committee of such bank, as per the requisition of Reserve Bank of India, is made or has been made under this section, then no member of such committee shall be eligible for being re-elected, reappointed, renominated or reco-opted on the committee of such bank or any other bank, for a period of ten years from the date of order of supersession of the committee.

(iv-b) Any person, who is a candidate for election to the member of managing committee of a co-operative bank, shall, while filing nomination paper, make a declaration to the effect that,—

- (a) he has never been a member of the managing committee of a co-operative bank which has been superseded under the Act; or
- (b) he has been a member of the managing committee of a co-operative bank which was earlier superseded under the Act and that a period of two terms of the committee has elapsed from the date of order of such supersession.”